न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. — 26/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अशोककुमार पुत्र मिश्रीमल, जाति घांची, निवासी बाकरा,तहसील व जिला जालोर		1.प्रेमीदेवी पत्नि मोडारामजी, जाति रावणा राजपूत, निवासी बांकरा, तहसील व जिला जालोर 2.ग्राम पंचायत बाकरा,पं.स.सायला, जिला जालोर जरिये ग्रामसेवक एवं –पदेन सचिव,

अन्तर्गत धारा 92,97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बाकरा,दिनांक 5.1.2015(अनापति प्रमाणपत्र)

उपस्थिति :–
1.श्री तेजसिंह बालावत्,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री त्रिलोकचन्द मेहता,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
3.श्री तारीफ अली, अभिभाषक,अप्रार्थी सं.2 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 10.4.2018

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बाकरा आबादी भूमि में ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा प्रेमीदेवी पत्नि मोडाराम,जाति रावणा राजपूत,निवासी बाकरा, तहसील व जिला जालोर के नाम से जारी जल व विद्युत कनेक्शन हेतु जारी अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 5.1.2015 को ग्रामसेवक ने जारी किया है। प्रार्थी के पिता मिश्रीमल पुत्र वागाजी जाति घांची निवासी बाकरा के नाम से मुकद्मा सं.67/12 जरिये कमांक 2001 दिनांक 9.2.1983 को धारा 98 क तहत् 500 वर्गगज का वाडा आवंटन हुआ था। आवंटन की तारीख से प्रार्थी व उसके पिता का कब्जा नियमित रूप से बिना किसी बांधा व रूकावट के चला आ रहा है। उपरोक्त मुकद्में में प्रेमीदेवी के पति मोडाराम पुत्र हकमाजी, जाति रावणा राजपूत ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जो विविध प्रकरण सं. 16/89 में विस्तृत निर्णय पारित किया गया। मिश्रीमल को किया गया 500 वर्गगज का आवंटन सही माना और मौके पर भौतिक रूप से कब्जा भी माना। उक्त विवादित प्लोट प्रार्थी के कब्जे में है तथा प्लोट पर प्रार्थी ने रेत डालकर समतल किया हुआ है ,वर्तमान में पट्टा प्रेमीदेवी के नाम से जारी किया

गया है। उक्त प्लोट से सबंधित पटटा सं.41 दिनांक 16.4.2013 ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा विधिवत् तरीके से प्रार्थी के नाम से जारी किया है जिसमें उतर में–मिश्रीमल पुत्र वागाजी घांची,दक्षिण में–नगाराम पुत्र छोगाजी घांची,पूर्व में–मूलाराम पुत्र सागडाजी खवास, पश्चिम में–गोलिया जाने का आम रास्ता है, उक्त पट्टा सब रजिस्ट्रार जालोर के यहां प्रार्थी के नाम से रजिस्टर्ड करवाया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में पंचायत निगरानी सं.20/2013 में निर्णय दिनांक 27.5.2014 को निर्णय पारित किया हैं कि आवेदक अशोक कुमार द्वारा पेश प्रार्थनापत्र का अवलोकन कर भूमि का मौका निरीक्षण कर व सम्पूर्ण सर्वे कर विधि सम्मत् कार्यवाही करावे, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने एक याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की है जिसके एस.बी. सिविल रिट सं. 5298/2014 है। ग्राम पंचायत बाकरा ने प्रार्थी व उसके पिता के नाम आवंटन की जगह पट्टा सं.40 व 41 , 300–300 वर्गगज के जारी किये है जिस पर पक्का निर्माण है तथा दीवार निकलवाने हेतु ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 14.5.2010 को जारी किया गया है फिर भी ग्राम पंचायत बाकरा के ग्रामसेवक द्वारा प्रेमीदेवी के हक में विद्युत व जन कनेक्शन लेने हेतु अनापति प्रमाणपत्र जारी कर भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। ग्रामसेवक,ग्राम पंचायत बाकरा ने बिना किसी प्रस्ताव के ग्राम पंचायत के बिना रेकर्ड के तथा प्रेमीदेवी के बिना कब्जे के सरपंच प्रमाणपत्र पर दिनांक 5.1.2015 को ग्रामसेवक ने हस्ताक्षर कर अनापति प्रमाणपत्र जारी किया। ग्राम पंचायत बाकरा के वर्तमान सरपंच माफीदेवी के द्वारा पट्टा जो प्रेमीदेवी के हक में जारी किया गया है जिस पर हस्ताक्षर नही है,माफीदेवी के हस्ताक्षर तत्कालीन ग्रामसेवक बहादुरसिंह ने कुटरचित रूप से किये है, पट्टे पर ग्राम पंचायत बाकरा के उपसरपंच भूराराम के भी हस्ताक्षर कुटरचित है तथा ग्राम पंचायत बाकरा के वार्डपंच संतोषदेवी को बहला फुसला कर हस्ताक्षर करवाये जिनका मुकद्मा ग्रामसेवक व अन्य सबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, जालोर के वहां प्रार्थनापत्र पेश किया है। दिनांक 20.8.15 को प्रार्थी को विद्युत विभाग से जारी विद्युत कनेक्शन के पत्रावली की नकल प्राप्त हुई जिसमें सरपंच अनापति प्रमाणपत्र जो गामसेवक बाकरा द्वारा जारी किया गया था ,की नकल थी। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी मांगी गई जो दिनांक 24.8.2015को प्राप्त हुई। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बाकरा के ग्रामसेवक द्वारा अप्रार्थी प्रेमीदेवी के नाम जारी अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 5.1.2015 खारीज करावे। प्रार्थी ने निगरानी के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ शपथपत्र व फोटो प्रतिया आदि पेश की , इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.1 की ओर से उनके वकील ने प्रार्थी के धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का दिनांक 6.9.2016को जवाब मय शपथपत्र पेश किया कि प्रार्थी को प्रेमीदेवी के नाम एन.ओ.सी. की जानकारी शुरू से है तथा प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर है ,डिले कन्डोन हेतु प्रार्थनापत्र पेश नही किया है जिससे निगरानी मेन्टनेबल नही है। मनघडंत तथ्यों पर व निगरानी को म्याद में पेश करना बताने के लिए कतई गलत रूप से धारा 5 म्याद अधिनियम के कथन किये है जो गलत होने से माने जाने योग्य नही है। तथा ग्राम पंचायत से नकल लेने में भी कानूनी बांधा नही थी, न ही है।

3. अप्रार्थी सं.2 की ओर रो उनके वकील ने दिनांक 17.12.15 को निगरानी का जवाब पेश किया कि अनापति प्रमाणपत्र गलत रूप से जारी हुआ है तथा ग्रामसेवक ने बिना पंचायत प्रस्ताव के अनापति प्रमाणपत्र गलत रूप से बिना कब्जा के जारी किया है,अतः अनापति प्रमाणपत्र खरिज करावे।

4. अप्रार्थी सं.1 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 6.9.2016 को निगरानी का जवाब पेश किया कि प्रार्थी ने निगरानी के प्रार्थनापत्र में उसके पिता को धारा 98 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत 500 वर्गगज भूमि आवंटित करना बताया लेकिन प्रार्थी ने खसरा नम्बर वर्णित नही किये है और न ही पडौस वर्णित किये है। प्रार्थी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर का निर्णय प्रस्तुत कर 500 वर्गगज भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित करे। प्रार्थी ने कथित स्वयं का प्लॉट बताते हुए नगाराम का पडौस बताया है जो प्रथम दृष्टया ही गलत है क्योंकि प्रार्थी का कथन नही है कि उसे भूखण्ड आवंटित हुआ हो। प्रार्थी ने अपने पिता को भूखण्ड आवंटित होना बताया और प्रार्थी के पिता मिश्रीमल जैन ने स्वयं के प्लोट के दक्षिण में मोडाराम का प्लॉट होना स्वीकार किया है, प्लॉट पुश्तैनी होना बताया जो कतई गलत है। पिता के प्लॉट पर यदि प्रार्थी काबिज है तो उसके अतिरिक्त कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रार्थी के नाम का पूर्व में पट्टा नम्बर 41/16.4.13 फर्जी रूप से जारी करवाया था जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्ध अपील करने का सबूत प्रार्थी पेश करे लेकिन मौके पर अशोककुमार का कभी कब्जा नही रहा है बल्कि ग्राम पंचायत की पत्रावली में तमाम दस्तावेज फर्जी बनाये गये है। अशोक कुमार ने यह स्पष्ट नही किया हैं कि मिश्रीमल के प्लॉट के दक्षिण में स्थित मोडाराम के प्लॉट पर अधिकार कैसे हुआ, कब कब्जा हुआ। यदि मिश्रीमल

के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिरिक्त कब्जा किया हो और पिता पुत्र ने मिलकर उसे बांटा हो तो प्रेमीदेवी के हकूक प्रभावित नही होते है। मौके पर आज भी प्रेमीदेवी काबिज है, मौके पर निर्माण है, बिजली कनेक्शन हो चुका है। प्रार्थी ने पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सं. 40व 41 को क्रमशः 300 वर्गगज का जारी करना बताया जबकि पद सं. 2 में 500 वर्गगज भूमि ही आवंटित करना बताया तो किस प्रकार से 600 वर्गगज भूमि के दो पट्टे पिता,पुत्र के नाम से बने ,अपने आप में गलत है। ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा सं.40 व 41 की कार्यवाही मौका हालत के विपरीत केवल मात्र कागजों में ही की थी और जिससे दोनो पट्टे निरस्त हो चुके है। प्रेमीदेवी के भू भाग पर प्रार्थी का कब्जा नही है बल्कि प्रेमीदेवी स्वयं का कब्जा है। प्रार्थी निर्माण व आराजी पुश्तैनी होना प्रमाणित करे। मिश्रीमल के भू भाग का सबंध प्रेमीदेवी के साथ नही है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया हुआ हे तथा मौके पर अप्रार्थी सं.1 का कब्जा व निर्माण है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध पट्टे फर्जी होना बताकर फौजदारी मुकद्मा किया है जिसको झूठा माना गया तथा पुलिस ने बाद जांच प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों को गलत पाया व अंतिम प्रतिवेदन पेश किया तथा बिजली का कनेक्शन हेतु सही तरीके से पट्टा सुद व कब्जासुद होने से एन.ओ.सी जारी की गयी है एवं प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन जारी हो चुका हे। प्रार्थी के निगरानी में वर्णित कथनानुसार धारा 98 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् मिश्रीमल को 500 वर्गगज जमीन आवंटित की गयी है लेकिन इस निगरानी में 600 वर्गगज पर कब्जा होना बता रहा है तथा आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकाने बनायी गयी है जो गिरायी जानी न्यायसंगत है, अप्रार्थी सं. 1 को दी गई एन.ओ.सी. नियमानुसार है।अप्रार्थी सं.1 के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टे बहादूरसिंह, सरपंच वगैराह के हस्ताक्षर सही होना पुलिस अनुसंधान में पाया गया। प्रार्थी के द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को झूठा पाया गया तथा पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया। पट्टे निरस्ती हेतु निगरानी झूठे व गलत आधारों पर पेश की है। प्रार्थी स्वयं ने मिलावट कर गलत,बिना सही नाप तोल के गलत नाम वर्णित कर ,गलत नक्शा पेश कर स्वयं व पिता के नाम के पट्टे जारी करवाये थे जो पट्टे जरिये निगरानी खारिज किये जा चुके है। अशोककुमार प्रार्थी को भू भाग आवंटित नही होने से निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज करावे।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व निगरानी

स्वीकार कर ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा अप्रार्थी सं.1 को जारी एन. ओ.सी दिनांक 5.1.2015 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1 व 2 के वकुलाय ने अपने– अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व प्रार्थी की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

6. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 92,97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत् अप्रार्थी सं.1 को ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा जारी अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 5.1.15 को निरस्त करवाने हेतु पेश की है जिसमें फहरिस्त के साथ ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा जारी कथित अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 5.1.15 की प्रमाणित प्रति पेश नही की है, केवल फोटो प्रति पेश की है जबकि निगरानी जिसके आदेश के विरूद्ध पेश की है उसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थी द्वारा पेश की जाना आवश्यक है जो प्रार्थी द्वारा आज तक पेश नही की गई है एवं न ही प्रार्थी वकील द्वारा अनापति प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति पेश करने से छूट का कोई प्रार्थनापत्र ही इस न्यायालय को पेश किया है।

इस अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 5.1.15 से सबंधित रैकार्ड ग्रामसेवक,ग्राम पंचायत बाकरा से इस न्यायालय के पत्र सं. /कोर्ट/2015/1335 दिनांक 28.9.2015 से चाहने पर रैकार्ड आज दिन तक प्राप्त नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा फहरिस्त के साथ ग्रामसेवक,ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा पत्र कमांक/ग्रा.पं.बा./2015–16/164 दिनांक 24.8.2015 से जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जिसमें यह अंकित हैं कि प्रेमीदेवी पत्नि मोडाराम–रावणा राजपूत के नाम बिजली कनेक्शन की एन.ओ.सी की प्रति सबंधी दस्तावेज ग्राम पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नही है।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत ग्रामसेवक,ग्राम पंचायत बाकरागांव द्वारा जारी अनापति प्रमाणपत्र की फोटो प्रति देखने पर उसके कोई कमांक अंकित नही है तथा दिनांक 5/0/15 प्रतीत होता है, प्रमाणपत्र के नीचे की तरफ दिनांक 5/01/14 को काटकर दि.5/01/15 अंकित किया गया है जो सन्देह उत्पन्न करता है। प्रार्थी वकील यह भी साबित नही कर सका हैं कि यह अनापति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा जारी किया गया है। सरपंच माफीदेवी,ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा जारी पत्र कमांक/ग्रा.पं.बा./स्पे. 1 दिनांक 16.2.2016 जो सहायक अभियंता(पवस) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ,उम्मेदाबाद को सम्बोधित है ,उसमें यह स्पष्ट हैं कि दिनांक

5.1.15 को प्रेमीदेवी को जारी अनापति प्रमाण पत्र ग्रामसेवक द्वारा नीजि स्तर पर जारी किया गया है जो गलत जारी हुआ है,ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नही लिया गया है, न ही ग्राम पंचायत में रैकर्ड है। इससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थी वकील द्वारा निगरानी में प्रस्तुत अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 5.01.15 ग्राम पंचायत से जारी नही होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है, अप्रार्थी सं. 1–प्रेमीदेवी को जारी अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 5/01/15 चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किया गया है अतः शून्य करार दिया जाकर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 10.4.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर